



**बिहार राज्य भंडार निगम**  
वी-२, प्रथम तल, मौर्यलोक परिसर, पटना

फोन नं.: ०६१२ २२२३६६६,  
ई-मेल: mdbsuic@gmail.com,  
वेबसाइट: www.bsisuic.co.in

**रिक्त गोदाम के संबंध में।**

बिहार राज्य भंडार निगम, दी चेयरहाउसिंग एक्ट १९६२ के अन्तर्गत स्थापित विहार की नोडल/अप्रणीत भंडारण संस्था है जो खाद्यान्नों/ उर्वरकों/ दवाओं एवं अन्य अभियुक्त वस्तुओं के वैज्ञानिक भंडारण के थंडे में आपनी सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिवद्ध है। वर्तमान में इस निगम अन्तर्गत विहार के निम्नलिखित केन्द्रों पर इस स्थान भंडारण हेतु उपलब्ध है :-

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	स्थल का नाम	खाली स्थान (मेट्रिक में)
1	चेतिया	औद्योगिक क्षेत्र, चेतिया	1,660
2	सीतामढ़ी	औद्योगिक क्षेत्र, राजोपट्टी, सीतामढ़ी	4,000
3	आरा	अनाईट, आरा, भोजपुर	1,700
4	कसाप (आरा)	कसाप, आरा, भोजपुर	20,000
5	फतुहाँ	कृषि उत्पादन बाजार समिति, फतुहाँ	1,094
6	बक्सर	कृषि उत्पादन बाजार समिति, बक्सर	6,720
7	सासाराम	तकिया गुमटी/तकिया बाजार, सासाराम स्थित	6,860
8	गुलाबबाग	कृषि उत्पादन बाजार समिति, गुलाबबाग, पूर्णिया	3,509
9	जानकीनगर	विनोबाग्राम, जानकीनगर (जिला-पूर्णिया)	1,000
10	नटवार	कृषि उत्पादन बाजार समिति, नटवार	15,000
11	कटिहार	कृषि उत्पादन बाजार समिति, कटिहार	5,000
12	नौगछिया	कृषि उत्पादन बाजार समिति, नौगछिया	10,000

- उक्त रिक्त गोदाम को भाड़े पर लेने हेतु जो भी केन्द्र व राज्य सरकार की संस्था/सार्वजनिक व निजी इकाई/आवेदक इच्छुक हो तो उक्त रिक्त गोदाम को भाड़े पर लेने हेतु आवेदन विहार राज्य भंडार निगम, वी-२, प्रथम तल, मौर्यलोक, पटना, में दे सकते हैं। गोदाम भाड़ा हेतु सामान्यतः केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा प्रचलित दर प्रभावी होगा। अधिक जानकारी के लिए प्रमंडलीय प्रबंधक (व्यवसाय) से मो०सं०-९९३१६३३५४१ एवं लेखा पदाधिकारी से मो०सं०-९९३४०५७५६८ के माध्यम से या विहार राज्य भंडार निगम, वी-२, प्रथम तल, मौर्यलोक, पटना से किसी भी कार्यालय दिवस में संपर्क कर सकते हैं।
- उपरोक्त वर्णित रिक्त गोदाम को भाड़े पर लेने हेतु इच्छुक जमाकर्ता अपना आवेदन e-mail/डाक या स्वयं उपस्थित होकर मुख्यालय में समर्पित कर सकते हैं।

ह०/-

प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक ..... ६.९५...../व्य०/भं.नि.पटना      दिनांक ..... २६/३/२५

प्रतिलिपि:- श्री/ लोकेश कुमार, कम्प्यूटर प्रोग्राम कोर्डिनेटर को निगम के सूचना पट्ट एवं वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यांश प्रेषित।

प्रबंध निदेशक  
26/3/25